चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सनी चतुर्वेदी चौकी प्रभारी शिवरामपुर व उनकी टीम द्वारा नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का नाम व पताः-

राजकुमार उर्फ दीपक पटेल पुत्र बदलू उर्फ सलीगराम निवासी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 662/2023 धारा 406,420,504,506 भादवि0 थाना कोतवाली कर्वी

2.मु0अ0सं0 298/2024 धारा 318(4),351(3),352 बीएनएस थाना अतर्रा

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.11.2025 को वादी प्रभाकर प्रसाद पुत्र विनय कुमार निवासी चकला गुरूबाबा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि राजकुमार उर्फ दीपक पटेल पुत्र बदलू उर्फ सलीगराम निवासी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने कहा कि वन्दे भारत एक्सप्रेस में सुपरवाइजर के पद पर लखनऊ में नौकरी लगवा देगा। नौकरी के नाम पर 58750/- रूपये सिक्योरिटी के रूप में जमा करना पड़ेगा, जिसके बदल में लैपटॉप,जूते, ड्रेस व सिम कार्ड मिलेगा। वादी विश्वास में आकर दिनांक 26.10.2025 को रात में राजकुमार उर्फ दीपक पटेल के साथ चित्रकूट एक्सप्रेस से लखनऊ चला गया। नौकरी दिलाने का झांसा देकर दिनांक 27.10.2025 को डी0आर0एम0 लखनऊ लिवा गया । डी0आर0एम0 विभाग के अध्यक्ष न होने की बात बोलकर वापस लिवा आया और बोला अब तुम्हारा मेडिकल होगा जिसके लिए रेलवे मण्डल चिकित्सालय लखनऊ लिवा गया और बोला मैडम नही आयी है इसके बाद राजकुमार उर्फ दीपक पटेल के कहने पर मैनें अपने फोन-पे के माध्यम से 28000/- रूपये उसके फोन-पे पर भेज दिया। फिर वापस दयाल होटल लखनऊ लिवा गया समय करीब शायं 07.30 बजे राजकुमार उर्फ दीपक पटेल बोला की कुछ खा पी लो,तो मैने कहा कि मैं कोल्ड्रिंक पी लूंगा । इस पर राजकुमार उर्फ दीपक पटेल ने कहा कि तुम बैठो,मैं कोल्ड्रिंक लेकर आ रहा हूँ। कुछ समय बाद राजकुमार उर्फ दीपक पटेल कोल्ड्रिंक लेकर आया जिसे पीने के बाद वादी वही पर बेहोश हो गया। सुबह 04.30 बजे होश आने पर वादी ने देखा कि बैंग में रखे 50000/- रूपया,वीवो मोबाइल 5जी, व घड़ी को निकालकर ले गया। इसके सम्बन्ध में होटल के मैनेजर के मोबाइल से अपने भाई आलोक को सूचना दिया । वापस कर्वी आने पर इसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 687/2025 धारा 318(4),316(2),123 बीएनएस बनाम राजकुमार उर्फ दीपक पटेल पुत्र बदलू उर्फ सलीगराम निवासी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट पंजीकृत कराया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही से धारा 316(2) का लोप करते हुए धारा 319(2) की बढ़ोतरी की गयी । जिसके क्रम में मुखविर की सूचना पर आज दिनांक 21.12.2025 को समय करीब 11.25 बजे शिवरामपुर तिराहा से अभियुक्त राजकुमार उर्फ दीपक पटेल पुत्र बदलू उर्फ सलीगराम निवासी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री सनी चतुर्वेदी चौकी प्रभारी शिवरामपुर
2. आरक्षी विपिन कुमार
3. आरक्षी दीप प्रताप सिंह

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कर्वी व थाना भरतकूप पुलिस टीम ने 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री रामकुमार दुबे चौकी खोह मय हमराह आरक्षी अदनाम द्वारा मु0नं0 115/2019 अ0सं0 151/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी शिवकल्याण पुत्र बैजनाथ निवासी खरौध गडरियन का पुरवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकू को गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री अतीन्द्र सिंह चौहान व उ0नि0 रामकरन मय हमराह आरक्षी अखिलेश तोमर व आरक्षी नरेन्द्र सिंह द्वारा मु0नं0 59/2019 अ0सं0 245/2018 धारा 279/338/304 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त दानिश खान पुत्र रफीक खान निवासी गोण्डा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सुभाषराम थाना रैपुरा व आरक्षी कुमार निर्मल द्वारा अभियुक्त मिरगेश पुत्र नत्थू निवासी ग्राम अरवारा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 18 अदद क्वार्टर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सुभाषराम थाना रैपुरा व आरक्षी कुमार निर्मल द्वारा अभियुक्त मिरगेश पुत्र नत्थू निवासी ग्राम अरवारा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 18 अदद क्वार्टर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।